यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2, राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरविंद कुमार उपाध्याय एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.02.2021 से 11.02.2021 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आनंद कुमार पांडे, लेखा परीक्षक श्री बी.बी.एम त्रिपाठी एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.11.2019 से 03.12.2019 तक श्री के.एल. भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -** भूपतवाला, कनखल सिडकुल से 6 B सं.-3 एवं 02, एवम राजस्व संग्रह, GST संग्रह, GST पंजियन का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	1076.18
2018-19	58.10
2019-20	1566.94

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
DDO का कार्य नहीं किया जाता है।						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
DDO का कार्य नहीं किया जाता है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई "A" श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त राज्य कर**>** उपायुक्त राज्य कर**>** सहायक आयुक्त , राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2, राज्य कर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2, राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: DCR संयुक्त रूप से बनाया जाता है विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: DDO का कार्य नहीं किया जाता है। (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 01 : व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 10.38 लाख।

प्रस्तर02: केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 धारा 10-A के अंतर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण ` 4.50 लाख।

प्रस्तर-03: देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.81 लाख।

प्रस्तर- 04 :कर का अनारोपण ` 0.53 लाख।

प्रस्तर -05: कर का न्यूनारोपण ` 0.82 लाख।

प्रस्तर -06: उपकर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.24 लाख।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 'ब'

प्रस्तर - 01: व्यापार खाते में कम बिक्री प्रदर्शित किए जाने के कारण कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 10.38 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। पुनः, यदि किसी व्यापारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, तो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत दस हजार रूपये या अंतर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो, से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -2, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि

(i) **व्यापारी सर्व श्री राजस्थान मार्बल्स (टिन न. 05002173116, कर निर्धारण वर्ष 2016-17**) द्वारा संगत वर्ष मे कुल ₹ 3408675/ की टाइल्स की केंद्रीय खरीद की गयी थी तथा प्रारंभिक रहतिया ₹ 3308995/ एवं अन्तिम रहतिया ₹ 00/- बताया गया था जिस के अनुसार कम से कम बिक्री लाभांश रहित ₹ 6717670/- (प्रारम्भिक रहतिया ₹ 3308995/ + खरीद ₹ 3408675/- अन्तिम रहतिया रु 00/) होनी चाहिए थी जबकि बिक्री ₹ 5027771/- (2224341 @ 13.5% + 2803430 @ 14.5%) ही घोषित की गई थी। इस प्रकार ₹ 1689899/- (6717670 - 5027771/) की टाइल्स की बिक्री कम घोषित की गई थी। अतः ₹ 1689899/ के कम विक्री पर 14.5% की दर से ₹ 2,45,035/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था। नियमानुसार इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा । इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 2,45,035/- का अर्थदण्ड भी देय है।

(ii) **सर्वश्री एल पी होटल प्रा . लिमिटेड (टिन न. 05014313539, कर निर्धारण वर्ष 2016-17)** की पत्रावली एवं ट्रेडिंग खाता की जांच मे पाया गया कि व्यापारी संगत वर्ष मे 13.5% की दर से आइसक्रीम, ₹ 329498/ की क्रय की गयी थी तथा प्रारंभिक रहतिया ₹ 8755/ एवं अन्तिम रहतिया ₹ 16970/- दर्शाया गया था जिस के अनुसार कम से कम बिक्री लाभांश रहित ₹ 321283/- (प्रारंभिक रहतिया ₹ 8755/ + खरीद ₹ 329498/- अन्तिम रहतिया ₹ 16970/-) होनी चाहिए थी जब की बिक्री ₹190501/- ही घोषित की गई थी। इस प्रकार ₹ 130782/- (₹321283/- ₹ 190501) के आइसक्रीम की बिक्री कम घोषित की गई थी। अतः ₹ 130782/ के कम विक्री पर14.5% की दर से कर ₹ 18963/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था नियमानुसार इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 18963/- का अर्थदण्ड भी देय है।

(iii **व्यापारी सर्वश्री हिमालय ट्रेडर्स, हरिद्वार, (TIN: 05002072721)** द्वारा फॉर्म 16 के माध्यम से प्रांत बाहर से ` 1164174/- की खरीद की गई थी जबकि व्यापार खाते में कुल खरीद ` 1097868/- (₹1076333+₹21535) की घोषित की गई थी। अतः, कम घोषित की गई खरीद ` 66,306/- पर बिक्री के अनुक्रम में 14.5% की दर से ` 9614/- कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 10,000/- का अर्थदण्ड भी देय है।

(iv) **सर्वश्री मैटलटेक इंडस्ट्रीज़ हरिद्वार (टिन 05011856335, कर निर्धारण वर्ष 2016-17)** के कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार हार्डवेयर, कॉपर वायर आदि की खरीद बिक्री का था। पुनः कर निर्धारण आदेशानुसार संगतवर्ष मे व्यापारी द्वारा कुल रु 7238775.00 की खरीद घोषित की गयी जिसमे प्रांतीय खरीद ₹ 464698 की खरीद 5% की दर से हार्डवेयर की, (₹ 2234410+₹ 3864707) की खरीद 13.5%/14.5% की दर से कॉपर वायर की घोषित की गयी, एवं ₹ 578211 की केंद्रीय खरीद (14.5% की) फार्म सी के विरुद्ध 2% की दर से कॉपर वायर की घोषित की गयी। पुनः जॉब वर्क खरीद

₹96749 की घोषित की गयी। कर निर्धारण आदेशानुसार 5% की दर से बिक्री शून्य थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार 5% की दर से बिक्री शून्य थी। समस्त विक्री 13.5% या 14.5% की थी जो पत्रावली पर उपलब्ध बिक्री सूची से भी सत्यापित है, समस्त बिक्रीत वस्तु 13.5% या 14.5% के कर दर के थे। पत्रावली पर उपलब्ध वार्षिक विवरणी के अनुसार gross purchase ₹ 7220237 का है और 5% की दर से बिक्री शून्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अंतिम स्टॉक ₹1023018 (₹602845+₹464698-₹44525) से कम है। जिसे बिक्री मानते हुए 5% की दर से कर रु 51151 एव नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 51151/- का अर्थदण्ड भी देय है।

(v) **सर्वश्री प्रजापति टाइल्स एंड सेनेटरी वर्क्स हरिद्वार (टिन 05011517223 कर निर्धारण वर्ष 2016-17**) के कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार टाइल्स, खपरैल,एवं सनेटरी आदि की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष मे कुल खरीद ₹ 1779717.00 की घोषित की जिसमे ₹187300 की प्रांतीय खरीद 0% की दर से, ₹90980 की प्रांतीय खरीद 13.5% की दर से एवं ₹ 1501437.00 की केंद्रीय खरीद घोषित की है। पत्रावली पर उपलब्ध ट्रेडिंग खाते के आलोक के जांच किए जाने पर स्पष्ट हुआ की ₹ 1051032 (₹765080 + ₹90980+₹1501437 = ₹2357497; ₹2357497-₹144295= ₹2213202; ₹2213202 - ₹515280 - ₹646890 = ₹1051032) की बिक्री कम घोषित की गयी है। उक्त कम बिक्री पर 13.5% की दर से कर ₹ 141889 एवं नियमानुसार ब्याज आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 141889/- का अर्थदण्ड भी देय है।

(vi) **सर्वश्री संसार वैंचर्स प्रा ली हरिद्वार (टिन 05016209404 कर निर्धारण वर्ष 2015-16)** के कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार ल्यूब्रिकेंट, टू व्हीलर्स एंड एसेसरिज आदि की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष मे कुल खरीद ₹ 13201020 की घोषित की गयी। जिसमे ल्यूब्रिकेंट की खरीद 0% की दर से ₹ 22102 की, टू व्हीलर्स की खरीद ₹ 452098 की 13.5% की दर से, एसेसरिज की प्रांतीय कहरीद ₹ 57750 एवं केंद्रीय

खरीद ₹ 12669070 (₹ 11712913 का टू व्हीलर्स +रु 956157 का स्पेयर पार्ट्स) की 13.5% की दर से घोषित की गयी। कुल बिक्री ₹ 3173204 की जिसमे ₹ 21465 की ल्यूब्रिकेंट की एवं ₹ 3151739 की बिक्रीटू व्हीलर्स एवं एसेसरिज की दर्शाई गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच मे पाया गया की फार्म 16 की सूची के अनुसार ₹ 12098257.00 का टू व्हीलर्स की खरीद हुई जो फार्म सी के विरुद्ध थी, परंतु ट्रेडिंग खाते मे केवल ₹ 11712913 ही दर्शाई गयी। स्पष्ट रूप से ₹ 385344 की खरीद कम दर्शाई गयी जिसको बिक्री मानते हुए 13.5% की दर से कर ₹ 52021.00 देय है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (v) के अंतर्गत ` 52021/- का अर्थदण्ड भी देय है।

उपरोक्त प्रकरणों **{(i) - (vi)}** के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः कर ` 518673**/-** **(**₹2,45,035 + ₹18963 + ₹9614 + ₹51151 + ₹141889 + ₹52021) एवं अर्थदण्ड ` 519059**/-** **(**₹2,45,035 + ₹18963 + ₹10000 + ₹51151 + ₹141889 + ₹52021) के अनारोपण के कारण ` 10,37,732/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर02: केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 धारा 10-A के अंतर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण ` 4.50 लाख।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10-A सपठित 10 (b) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या (falsely) जाहिर करेगा कि माल का ऐसा वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, यथास्थिति, उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिए सक्षम हो, सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित कर सकेगा, जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अधिक न हो, जो उस माल के उसको किए गए विक्रय के बाबत धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उस दशा में उद्ग्रीहित किया जाता, यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, खंड-2, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया की सर्वश्री श्री जय दुर्गा सेल्स (टिन 05002081548 कर निर्धारण वर्ष 2015-16) के कर निर्धारण आदेशानुसार व्यापार एच एल मैडिसिन, फेसवाइप्स, चीज, हेड़ीक्राफ्ट, फूड प्राँडक्ट्स की खरीद बिक्री का था। संगत वर्ष मे कुल खरीद ₹ 1875 का हेड़ीक्राफ्ट (0%), फूड प्राडक्ट्स एलुमिनियम फोइल ₹ 1359054 (5%), मूसली, एल ई डी, चीज ₹ 145595 (13.5%) एवं ₹ 7466906 की केंद्रीय खरीद की गयी। ₹ 6582241.00 की केंद्रीय खरीद फार्म सी के विरुद्ध है। उक्त खरीद के विरुद्ध ₹ 1657787 की बिक्री 0% की दर से। ₹ 6615306 की फूड प्राँडक्ट्स एलुमिनियम फोइल की बिक्री 5% की दर से, ₹ 1347403 के मूसली, एल ई डी, चीज की बिक्री 13.5% की दर से एवं ₹ 29350 की केंद्रीय बिक्री 5% की दर से, ₹ 95823 के फूड प्राँडक्ट्स की केंद्रीय बिक्री 13.5% की दर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच मे पाया गया की संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा केंद्रीय खरीद food product, disposables, cosmetics, h l medicines, incense oil,

stationery,vinegar, soap & detergent, herbal products की फार्म सी के विरुद्ध 2% की दर से किया गया। यद्द्पि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मे केवल आयुवेदिक दवाइयों के क्रय विक्रय हेतु अधिकृत था। अतः फार्म सी के विरुद्ध समस्त रीयायती क्रय ₹ 5994464.00 (एच एल मैडिसिन को छोडकर) पर नियमानुसार अर्थ दंड ₹ 449585.00 (₹5994464x5%x1.5) आरोपणीय है।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया की जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर-03: देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.81 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में, यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5%, यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रूपए 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -2, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` **14,26,263/-** को विलंब से जमा किया गया था। अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` **1,81,479/-** का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया। (विवरण संलग्न)।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः, देय कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` 1,81,479/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर- 04 :कर का अनारोपण ` 0.53 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -2, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि **सर्वश्री कलर होम, टिन: 05002028489** द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 में फ़िक्स्ड असेस्ट्स के विवरण में ` 10,61,755/- की कार की बिक्री दर्शाई गई थी परंतु उक्त बिक्री पर कोई भी कर आरोपित नहीं किया गया था। अतः, उक्त बिक्री पर 5% की दर से ` 53088/- का कर आरोपणीय है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि पत्रावली की जांच कर सम्यक कार्यवाही करते हुए लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः `53088/- के कर के अनारोपण का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर -05: कर का न्यूनारोपण ` 0.82 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। पुनः, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) (ख) (i) (ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर देयता दिनांक 28.05.2012 से 13.5% एवं दिनांक 04.10.2016 से 14.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खंड - 2, राज्य कर, हरिद्वार, के अभिलेखों की 04/2019 से 03/2020 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि

(i) **व्यापारी सर्वश्री कलर होम, टिन: 05002028489, द्वारा कर निर्धारण वर्ष** 2017**-18** में केमिकल की ` 132383/- की बिक्री पर 5% की दर से ` **6619**/- की कर देयता निर्धारित की गई थी जबकि केमिकल के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण**,** इसकी बिक्री पर न्यूनतम 1**4**.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः ` 132383**/-** की केमिकल की बिक्री पर अंतरीय दर 9.5% (14.5 - 5) से ` 12,576**/-** का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

(ii) **व्यापारी सर्वश्री कलर होम, टिन: 05002028489, द्वारा कर निर्धारण वर्ष** 2016-17 में केमिकल की ` 316178/- की बिक्री पर 5% की दर से ` 15809/- की कर देयता निर्धारित की गई थी जबकि केमिकल के उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनूसूची में शामिल न होने के कारण**,** इसकी बिक्री पर न्यूनतम 13.5% की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः ` 316178**/-** की केमिकल की बिक्री पर

अंतरीय दर 8.5% (14.5 - 5) से ` 26,875**/-** का अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना अपेक्षित है एवं इस राशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उपरोक्त प्रकरणों के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः, ` 81,534/- (₹ 42083 + ₹12576 + ₹26875) के कर के न्यूनारोपण का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 'ब'</u>

प्रस्तर -06: उपकर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 0.24 लाख।

उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 की धारा 3(2) के अनुसार, प्रत्येक ब्यौहारी या व्यक्ति जो अनूसूची-I, अनूसूची-II या अनूसूची-III में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करता हो और जो उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत हो अथवा पंजीकरण हेतु दायी हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा की विहित किया जाय, उपकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। जहां कोई विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता उपकर की वसूली करने में असफल रहता है या इस धारा के अंतर्गत ऐसे उपकर को जमा करने में असफल रहता है तो वह धारा 3(3)(ख) के तहत ऐसे उपकर को ब्याज तथा उपकर के दुगुने से अनधिक अर्थदण्ड के साथ जमा करने के लिए दायी होगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 194/2016/17(120)/ XXVII(8)/2014 दिनांक 02 मार्च 2016 के अनुसार अनुसूची -III के क्रम सं 1 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड), पिज्जा आउटलेट्स या फ्राइड चिकें आउटलेट्स द्वारा की गई बिक्री, प्री पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेज़ पर विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरांत राज्य में प्रथम बिक्री के बिन्दु पर माल के मूल्य का 2% उपकर उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खंड -2, राज्य कर, हरिद्वार के 04/2019 से 03/2020 की अवधि के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उपरोक्त व्यापारी की संगत वर्ष में फ्रूट ड्रिंक की कुल खरीद ` 345512/- की थी जिसमे आयातित एवं प्रांतीय खरीद क्रमशः ` 144012/- एवं ` 201500/- की थी। अतः, कुल खरीद में आयातित खरीद 41.68 % थी। संगत वर्ष में फ्रूट ड्रिंक की कुल

बिक्री ` 960580/- की थी। अतः, खरीद की प्रतिशतता के अनुसार आयातित किए गए फ्रूट ड्रिंक की बिक्री ` 400370/- (₹960580 का 41.68 %) की होनी चाहिए थी। उक्त ` 400370/- की बिक्री पर उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार 2% की दर से ` 8007**/-** का उपकर देय था परंतु उक्त बिक्री पर कोई भी उपकर आरोपित नहीं किया गया था। अतः**,** उक्त उपकर ब्याज समेत देय है। देय उपकर के अतिरिक्त उपकर का दोगुना अर्थात ` 16,014/- का अर्थदण्ड भी देय है।

उपरोक्त के विषय में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी।

अतः उपकर एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण ` 24,021/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT/100/2019-20	01,02	01,02,03,04,05	-
CT/118/2017-18	01,02	01,02,03,04,05,06	-
CT/50/2016-17	01	01,02	-
CT/40/2015-16	01	02,03,04,05,06,07	-
CT/25/2014-15	-	01	-
CT/26/2013-14	-	01,02,03,04,05,06,07,08	-
CT/21/2012-13	01	-	-
CT/57/2011-12	01	01,02,03,04	-
CT/13/2010-11	01,02	01,02	-
CT24/2008-09	01	01,02	-
CT/22/2006-07	01	01,02	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती दीपशिखा	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV